


OK

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 69 / 1920

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	<p>झारखंड सरकार के ज्ञापक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा- <u>कोलाकुला</u> मौजा न०- <u>12</u> खाता न० <u>142</u> प्लॉट न० <u>1350</u> रकबा <u>3 रु० 32</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-11 के जिल्द सख्या <u>16</u> के पृष्ठ सख्या <u>2873</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्री प्रकाश क. अठवारा, पिता- श्री चंद्र अठवारा</u> के नाम से कायम है।</p>	
	<p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि: उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार पर/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निम्न लाभ एवं मजरा का अति कारित करना है।</p>	
	<p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p>	
	<p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक <u>11/4/19</u> को रखे।</p>	
	<p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	

11/4/19


अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 11/4/19 को रखे।



अचल अधिकारी
धनबाद।

15/4/19


अभिलेख उपास्थपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 15/4/19 को रखे।



15.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक
29/6/20 को रखे।




29.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20


अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मांजा
कोलाकुला मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट
नं० 1350 रकबा 3 ~~322~~ भूमि से संबंधित है। आवंटित
भूमि मत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रजिस्टर
के खोज रीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलमन)। आवंटित
भूमि दाखिल खारिज केस नं० (.....) के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।



अचल अधिकारी,
धनबाद।



29.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या— 64 / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम— श्री प्रकाश कुंठा कृष्णा

फिरा— श्री चंद्र कृष्णा

ला— कोला कुंठा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि भौजा— कोला कुंठा थाना नं०— 12
खाता नं०— 142 खेसरा नं०— 1250 रकबा— 2 रु. 33/ से संबंधित आपके नाम से
80 नं०— 11 के पंजी-II भाग 16 के पृष्ठ 2973 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक— को समय—11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मृतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

4099

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री प्रकाश कुं आशुबाला पि वसिन्दा आशुबाला

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
श्रीवापुरा	12	142	1350	3081

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ... 15 पृष्ठ सं० ... 2973 पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2015 / 16

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो बस्ती / दा० खा० मु० सं० 684.. (11) 2015/16 के आदेशानुसार जमाबंदी सं० 2973 से धरणा

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीवावन्दन शिव

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा दुरुजुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती - m/c No. 1173 (11) 2005/06 Theko No. 2291 से धरणा

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दायिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अधिकतम लगान रसीद संख्या एवं वर्ष =

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसुली वर्ष
01	1954271	30/01/06	03.04.05-06
02			
03	1835820	15/9/15	11-12/15-16